आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
08/03/2021	**आदेश** सर्वे अपील वाद सं0–111/2009 एवं 113/2009 वन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जलेश्वरी देवी व अन्य के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त दोनो वाद में ग्राम– सुमनडीह, थाना–तमाड़ में अवस्थित भूमि के सर्वे खतियान में विपक्षियों के नाम से इंद्राज किये जाने से संबंधित है। प्रभारी पदाधिकारी, रॉची द्वारा धारा 89 के तहत् क्रमशः पुनरीक्षण वाद 9/07 एवं 7/07 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है। क्योंकि दोनो वाद समान प्रकृति के, एक ही ग्राम से संबंधित है। अतः उनकी सुनवाई एक साथ की गयी है। वन विभाग का कथन है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी के समक्ष दायर वाद में वन विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ग्राम सुमनडीह के प्लॉट नं० 852 में अवस्थित भूमि सुरक्षित वन भूमि है, जो विगत सर्वे में गैर मजरूआ जमीन जंगल–झाड़ी के रूप में दर्ज है। वन विभाग की अधिसूचना संख्या 17033/55–2180R, दिनांक 01.01.1955 के द्वारा इन सभी भूमि को सुरक्षित वन भूमि घोषित किया जा चुका है। वन भूमि में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जमीन की बन्दोबस्ती अथवा किसी व्यक्ति के नाम से खतियान में इंदिराज वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के विपरीत है। निम्न न्यायालय द्वारा वन विभाग के प्रेषित आपत्ति को दर किनार करते हुए विपक्षियों के पक्ष में खतियान को इन्द्राज कर आदेश दिया गया है जो पूर्णतः अनुचित है। विपक्षियों का कथन है कि प्लॉट नं० 852 काफी बड़ा है, जिसका रकबा 657 एकड़ है। उक्त में से 318 एकड़ ही वन भूमि के रूप में अधिसूचित है। जो प्लॉट नं0 425, 546, 823, 849, 852, 855 तथा 866 में अवस्थित है। वर्ष 1930 में प्रकाशित पुनरिक्षण भूमि सर्वे में प्रश्नगत भूमि मानकी सितानाथ सिंह के नाम से दर्ज है। उनके द्वारा 1932 में 35.16 एकड़ भूमि जो प्लॉट नं० 852 में अवस्थित है की बन्दोबस्ती हुकूमनामा के माध्यम से कई व्यक्तियों के नाम से की गई थी। यह भूमि सुरक्षित वन क्षेत्र में नहीं आती है। उक्त बन्दोबस्तीधारी द्वारा 4.14 डिसमिल भूमि विपक्षियों के साथ बिक्री की गयी है, जिसके आधार पर विपक्षी प्रश्नगत भूमि के दखल में है। क्योकि यह भूमि रयैती किस्म की है, अतः इसमें वन विभाग का	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

कोई अधिकार नहीं है। विपक्षियों के तरफ से जमींदार के द्वारा से किया गया सादा बन्दोबस्ती, अंचल अधिकारी तमाड़ के द्वारा लगान निर्धारण वाद संख्या 1628 (।।)/58–59 का आदेश, विपक्षियों द्वारा किया गया क्रय उनके पक्ष में किये गये दाखिल–खारिज के आदेश प्रस्तुत किये गये है।

उभय पक्षों कि सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्लॉट नं० 546/852 अधिसूचित वन भूमि है किन्तु उक्त प्लॉट में अवस्थित मात्र 378.18 एकड़ भूमि वन भूमि के रूप में अधिसूचित की गयी है। शेष भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत भूमि के खतियान के गैर मजरूआ जंगल झाड़ी दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज सभी भूमि वन भूमि अधिनियम के प्रावधानों से अच्छादित है तथा वन सुरक्षा अधिनियम ऐसे भूमि पर लागू होता है चाहे वह किसी के भी दखल में हो। चूँकि प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ जंगल झाड़ी श्रेणी की है, अतः उक्त भूमि के बंदोबस्त करने का अथवा बंदोबस्त धारी उक्त भूमि की बिक्री करने का प्रश्न नहीं उठता है। जंगल झाड़ी भूमि का लगान निर्धारण एवं दाखिल खारिज की कार्रवाई भी नियम संगत नहीं कही जा सकती है। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करते हुए प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तदनुसार खतियान को संशोधित करने का भी आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त।

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.24 11:47:59 +05:30
Location: 10.93.72.187